(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 25/2018 - संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि........ (अ.)- संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 711 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 43क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"43क	0710	सब्जियां (पकी हुई या भाप से पकाई गई या पानी में उबाली हुई) फ्रोजन
43ख	0711	सब्जियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित रखी गई हो (उदाहरणार्थ सल्फर डाई आक्साइड से, ब्राईन में, सल्फर वॉटर में या अन्य संरक्षक विलेयन में), लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है";

(ii) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"121क	4904 00 00	म्यूजिक, प्रिंटिड या मैनुस्क्रप्टि में, चाहे बाउंड या इलेस्टेटड हो या नहीं";

(iii) क्रम संख्या 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"153	कोई भी अध्याय	राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या मुख्यमंत्री या किसी लोक सेवक को मिले उपहार मदों का सरकार के द्वारा सार्वजनिक नीलामी करके आपूर्ति जहां ऐसी नीलामी का पैसा जनता या खैराती उपयोग के लिए किया जाना हो"।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवर्तित होगी ।

(फाइल संख्या 354/432/2018-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 711 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018 जिसे सा.का.नि 701 (अ.) दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।